न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 31/2020
जीसीएमएस सं. – 2020/00174

–:: वादीगण ::–

1. जगदीश पुत्र शंकरलाल
2. मुनाराम पुत्र शंकरलाल
3. अनुदेवी पत्नि मुनाराम
4. चंदराई पत्नि शंकरलाल

सभी जातियान साद निवासीगण खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. गणपतराम पुत्र भोलाराम
2. सुगनाराम पुत्र भोलाराम
3. ढगलाराम पुत्र भुराराम

जातियान साद निवासीगण खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

4. सम्दुड़ी पत्नि धर्माराम जाति साद निवासी लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खवासपुरा जिला जोधपुर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जेठाराम चौहान, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री उदयसिंह कच्छावाह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4

<u>निर्णय</u>

दिनांक : 26.05.2025

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम घोड़ावट की राजस्व सीमा में वादीगण व प्रतिवादी सं. एक से चार की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता सं. नया	खसरा नम्बर	क्षैत्रफल	किस्म
09	237	0.8414 हैक्टयर	बारानी प्रथम
97	221	0.8090 हैक्टयर	बारानी प्रथम
98	235	0.7443 हैक्टयर	बारानी प्रथम
99	236	0.8414 हैक्टयर	बारानी प्रथम
	कुल खसरा 04	कुल रकबा 3.2361 हैक्टयर	

उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से चार की खरीदसुदा भूमि है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 235 में रकबा 07/03 हेक्टेयर में से 1/8 वां हिस्सा यानि 0.0930 हैक्टेयर भूमि वादी सरक दो ने प्रतिवादी संख्या दो से जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 03.03.2020 को खरीद की हुई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 235 में से रकबा 0.7443 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या चार का 1/4 वां हिस्सा बानि 0.0809 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या चार ने जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 17.07.2019 को खरीद की। इसी प्रकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर। जोधपुर

खसरा नम्बर 237 रकबा 0.8414 हैक्टेयर में से 1/8 वां हिस्सा यानि 0.1051 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या चार ने प्रतिवादी संख्या दो से जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के दिनांक 04.09.2019 को खरीद की। इसी प्रकार खसरा नम्बर 237 रकबा 0.8418 हैक्टेयर (05 बीघा 04 बिस्वा) भूमि वादी संख्या तीन व प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता स्व० भोलाराम पुत्र भूराराम ने संयुक्त रूप से जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा दिनांक 26.06.2006 को खरीद की थी जिसमें वादी संख्या तीन का 1/2 हिस्सा है। खसरा नम्बर 236 रकबा 0.8418 हैक्टेयर (05 बीघा 04 बिस्वा) भूमि वादी संख्या एक व दो व प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता भोलाराम व प्रतिवादी संख्या तीन के पिता भुराराम ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 19.06.1992 को खरीद की जिसमें वादी संख्या एक का 1/4 वां व वादी संख्या दो का 1/4 वां हिस्सा कानूनन निहित है। तथा खसरा नम्बर 235 रकबा 0.7447 हैक्टेयर (04 बीघा 12 बिस्वा) भूमि वादी संख्या एक व दो व प्रतिवादी संख्या एक व दो के पिता भोलाराम व प्रतिवादी संख्या तीन के भाई स्व. मोहनलाल ने जरिये पंजीबद्ध वैचान के दिनांक 20.06.1991 को खरीद की जिसमें वादी संख्या एक का 1/4 वां हिस्सा, वादी संख्या दो का 1/4 वां हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की भूमि पर समय समय पर खाद डालकर करके उसको उपजाऊ बनाया है उक्त हिस्से अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा बन्टवाड़ा में प्राप्त करने के अधिकारी है इस पर यह वाद बाबत् बन्टवाडा का पेश है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 221 रकबा 0.8090 हैक्टेयर पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से चार के अपने अपने हक व बन्ट की जमीन पर रहवासीय पक्के मकानात् बाड़े बनाकर निवास करते आ रहे है वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से चार का सामलाती बहुत ही पुराना एक ओपन कुआ खुदा हुआ है जिसमें पानी नहीं होने से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 236 वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से चार की सामलाती ट्यूबैल खुदी हुई है जिसमें विद्युत सम्बन्ध भी वादीगण के पिता स्व. शंकरलाल के नाम से लिया हुआ है। जिसका उपयोग व उपभोग वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी बारी अनुसार करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कानून अनुसार मांप एवं सीमांकन (बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स) के बन्टवाड़ा किया हुआ नहीं होने से प्रतिवादीगण मौके की कीमती जमीन को बैचान करने पर आमादा है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत् एवं कानून अनुसार मांप एवं सीमांकन के बंटवाड़ा नही होने से वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सहखातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर समान हक व हिस्सा निहीत है । दिनांक 01.06.2020 को प्रतिवादी सं. चार अपने हितबद्ध व्यक्तियो को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आई व वादग्रस्त आराजी को बैचान करने की नियत से दिखाने लगी तब वादीगण ने मना किया कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा किया हुआ नही है बिना बंटवाड़ा करवाये आपको वादग्रस्त आराजी की मौके की कीमती जमीन को बैचान करने का कोई विधिक अधिकार नही है । जिस पर प्रतिवादीगण, वादीगण से अत्यधिक नाराज हो गये एवं ऐलानिया धमी दी कि मौका मिलते ही वादग्रस्त आराजी का बैचान करके रहेगे । इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अति आवश्यक व लाजमी है इस पर यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश हैं। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :– वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध बन्टवाडा की डिकी इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ... शहर (जोधपुर)

235, 236, 237, 221 में वादीगण के कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए वादग्रस्त आराजी का मांप एवं सीमाकन के बन्टवाड़ा करवाया जाकर वादीगण के बन्ट व हिस्से की भूमि वादीगण को बन्टवाड़ा में दिलाई जावे। वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि ग्राम घोड़ावट में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 235, 236, 237, 221 में वादीगण के बन्ट व हिस्से में आई कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी पैदा नहीं करें न किसी अन्य से करावें एवं वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हों वादीगण के पक्ष में अता फरमावे ।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से वकील उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी सं. 5 का समन्न बाद तामिल प्राप्त हुआ जो कि फोरमल पक्षकार हैं। वकुलाय द्वारा वाद पत्र के अनुसार तथा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिकी जारी करने पर सहमति दी । दोनो पक्षो की सहमति पर तनकीयात कायम नही की और साक्ष्य नही ली गयी। मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नियम आरएलएलआर 1957 नियम 18 से 22 की पालना के साथ प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु तहरीर जारी की गयी ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राथमिक डिकी की पालना रिपोर्ट बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर वकील वादीगण को कोई आपति नही है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर से निर्णय दिनांक 28.03.2022 की पालना में बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआं। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर वकुलाय द्वारा कोई आपति जाहिर नही की हैं एवं अपनी सहमति प्रदान की हैं। उक्त प्राथमिक डिकी को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त डिकी के भाग रहेगे। अन्तिम डिकी पृथक से जारी होकन संलग्न पत्रावली हो ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ए इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

डिकी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **श्रीमती मृदुला शेखावत R.A.S.**

जगदीश वगैरा बनाम गणपतराम वगैरा

दावा बाबत **53,188 आर टी एक्ट** राजस्व मूल वाद संख्या **31/2020**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **बक्तावरसिंह जाखड़** मनजानिव मुदई वकील **मधुसुदन चौधरी** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम घोड़ावट के खसरा नम्बर 237, 221, 235, 236 कुल रकबा 3.2361 हैक्टयर में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार रहेगा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय व डिकी के भाग रहेगे। तहसीलदार पीपाड़ शहर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक कार्यवाही करें। इस आशय की अन्तिम डिकी पर्चा जारी किया जाता हैं।**

लोज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य...............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य...................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत...... [signature]
ओहदा...... सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान.........			मीजान........		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।

[signature]
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)